



उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-19/2021-22

+

आर0एम0ए0 नं0-07/2021-22

रंधीर कुमार सिंह एवं अन्य

बनाम्

उज्ज्वल अभिषेक झा

—: आदेश :—

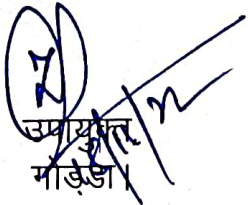
दिनांक 18/11/22

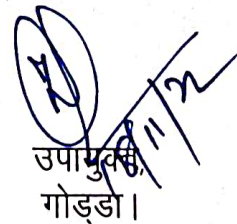
उत्तरवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदन दाखिल किया गया। उनका कथन है कि अपीलकर्ता आर0एम0ए0 नं0-19/2021-22 के आदेश दिनांक-17.08.2021 से विक्षुब्ध होकर माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में डब्लू0पी0(सी0) नं0-5034/2021 रिट याचिका दायर किया है। उक्त रिट याचिका में दिनांक-12.04.2022 के आदेश से आर0एम0ए0 नं0-19/2021-22 का कार्यवाही पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के उक्त आदेश का पालन किया जाय।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने एवं आवेदन के साथ संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उत्तरवादी की ओर से वर्तमान अपील वाद के आदेश दिनांक-17.08.2021 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में डब्लू0पी0(सी0) नं0-5034/2021 दायर किया है। आदेश दिनांक-12.04.2021 के द्वारा वर्तमान कार्यवाही पर अगली सूचीबद्ध होने तक रोक लगाया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के आदेश के आलोक में वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त
गोड्डा।


उपायुक्त
गोड्डा।